बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0,

'खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना –800001

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य-खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 के प्रशासनिक पुनर्गठन के फलस्वरूप निगम मुख्यालय के ज्ञापांक 11186 दिनांक 03.11.2017 द्वारा तकनिकी प्रभाग का गठन हुआ है। तकनिकी प्रभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के असैनिक कार्यों का निष्पादन एवं क्रियान्वयन किया जाना हैं। विभिन्न तकनिकी पदाधिकारियो के कार्य परिभाषित नहीं होने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अन्य अनुसंगिक कार्य हेतु विभिन्न समितियों का गठन नहीं होने के कारण कार्य संचालन में असुविधा हो रही है। असैनिक कार्यो के सुचारू रूप से क्रियान्यवन एवं ससमय निष्पादन के उद्देश्य से निम्न प्रस्ताव निदेशक पर्षद के समक्ष प्रस्तुत किया गयाः–

1. असैनिक निर्माण एवं अनुसंगिक कार्यों (Civil Construction and Allied Works) हेतु निगम के लिए पूर्व से कोई लोक निर्माण संहिता नहीं है ऐसी स्थिति में बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता को मूल रुप में सभी अद्यतन संशोधनों के साथ अंगीकृत करने का प्रस्ताव है।
2. निगम के उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न जिलों में सभी प्रकार के असैनिक एवं अनुसंगिक निर्माण यथा कार्यालय, गोदाम का नवनिर्माण, क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मति एवं गोदामों तक पहुँच पथ इत्यादि का निर्माण का कार्य कराया जाना है। योजनाओं के चयन, तकनिकी अनुमोदन, मूल्यांकन, निविदा निष्पादन हेतु विभिन्न समितियों के गठन का प्रस्ताव निदेशक पार्षद की 154वीं बैठक के मद संख्या 153.28 द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया गया।

निदेशक पर्षद के 154वीं बैठक दिनांक 27.09.18 यथा मद संख्या 153.28 में निम्न निर्णय लिया गयाः–

"The Board discussed the matter and the agenda was approved unanimously."

अतः निगम के असैनिक कार्यों के सुचारु रुप से क्रियान्वयन एवं निष्पादन हेतु निम्नांकित आदेश दिया जाता है।

1. असैनिक निर्माण एवं अनुसंगिक कार्यों (Civil Construction and Allied Works) हेतु निगम के लिए पूर्व से कोई लोक निर्माण संहिता नहीं है ऐसी स्थिति में बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता को मूल रुप में सभी अद्यतन संशोधनों के साथ तत्कालिक प्रभाव से अंगीकृत किया जाता है।
2. निगम के उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न जिलों में सभी प्रकार के असैनिक एवं अनुसंगिक निर्माण यथा कार्यालय, गोदाम का नवनिर्माण, क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मति एवं गोदामों तक पहुँच पथ इत्यादि का निर्माण का कार्य कराया जाना है। योजनाओं के चयन, तकनिकी अनुमोदन, मूल्यांकन, निविदा निष्पादन हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है, जिसका स्वरुप निम्न प्रकार होगाः–

A.(i) तकनीकी बीड् मूल्यांकन समिति(50 लाख रुपये तक की परियोजना/प्राक्कलित राशि तक)

(क) कार्यपालक अभियंता– अध्यक्ष
(ख) उप महाप्रबंधक, वित्त– सदस्य
(ग) सहायक अभियंता– सदस्य

A.(ii) तकनीकी बीड् मूल्यांकन समिति(50 लाख रुपये से उपर एवं 2.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना/प्राक्कलित राशि)

(क) उप महाप्रबंधक, तकनीकी– अध्यक्ष
(ख) उप महाप्रबंधक, वित्त– सदस्य
(ग) कार्यपालक अभियंता– सदस्य
(घ) सहायक अभियंता– सदस्य

A.(iii) तकनीकी बीड् मूल्यांकन समिति(2.00 करोड़ रुपये से अधिक परियोजना/प्राक्कलित राशि तक)

(क) महाप्रबंधक, तकनीकी– अध्यक्ष
(ख) उप महाप्रबंधक, वित्त– सदस्य
(ग) उप महाप्रबंधक, तकनीकी– सदस्य
(घ) कार्यपालक अभियंता– सदस्य

B.(i) वित्तीय बीड् मूल्यांकन समिति(50 लाख रुपये तक की परियोजना/प्राक्कलित राशि तक)

(क) कार्यपालक अभियंता– अध्यक्ष
(ख) उप महाप्रबंधक, वित्त– सदस्य
(ग) सहायक अभियंता– सदस्य

B.(ii) वित्तीय बीड् मूल्यांकन समिति(50 लाख रुपये से 3.50 करोड़ रुपये तक की परियोजना/प्राक्कलित राशि तक)

(क) मुख्य महाप्रबंधक, जन वितरण– अध्यक्ष
(ख) महाप्रबंधक, तकनीकी– सदस्य
(ग) महाप्रबंधक, वित्त– सदस्य
(घ) उप महाप्रबंधक, तकनीकी– सदस्य
(च) कार्यपालक अभियंता– सदस्य(विशेष आमंत्रित)

B.(iii) वित्तीय बीड् मूल्यांकन समिति(3.50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना/प्राक्कलित राशि तक)

(क) प्रबंध निदेशक– अध्यक्ष
(ख) मुख्य महाप्रबंधक, जन वितरण– सदस्य
(ग) महाप्रबंधक, तकनीकी– सदस्य
(घ) महाप्रबंधक, वित्त– सदस्य
(च) कार्यपालक अभियंता– सदस्य(विशेष आमंत्रित)

3. **परियोजना/प्राक्कलित राशि की योजना के तकनीकी अनुमोदन/स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति निम्न प्रकार प्रत्यायोजित करने का आदेश है:–**

I. परियोजना/प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन/स्वीकृति की शक्ति

(क) सहायक अभियंता– 10 लाख रुपये तक की राशि
(ख) कार्यपालक अभियंता– 10 लाख रुपये से उपर एवं 50 लाख रुपये तक की राषि
(ग) उप महाप्रबंधक, तकनीकी– 50 लाख रुपये से उपर एवं 3.50 करोड़ तक की राषि
(घ) महाप्रबंधक, तकनीकी– 3.50 करोड़ रुपये से अधिक राषि

II. परियोजना/प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति

(क) मुख्य महाप्रबंधक, जन वितरण– 50 लाख रुपये तक की परियोज़ना/प्राक्कलित राशि
(ख) प्रबंध निदेशक– 50 लाख रुपये से उपर एवं 5.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना/प्राक्कलित राशि
(ग) निदेशक पर्षद– 5.00 करोड़ रुपये से उपर की परियोजना/प्राक्कलित राशि

4. **कार्यप्रमंडलों में निकासी एवं व्ययन का अधिकार हेतु निम्न रुप से प्राधिकृत करते हुए निम्न आदेश दिया जाता है:–**

(क) असैनिक कार्यों से संबंधित सभी प्रकार का व्यय एवं भुगतान कार्यपालक अभियंता द्वारा आवंटन एवं स्वीकृत राशि के अधीन किये गये कार्य के विरुद्ध बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।

(ख) कार्य प्रमंडल के सभी पदाधिकारी/कर्मियों के वेतन भत्ता आदि का भुगतान मुख्यालय से प्राप्त आवंटन के आलोक में कार्यपालक अभियंता (संबंधित कार्य प्रमंडल) द्वारा किया जायेगा।

(ग) असैनिक कार्यों एवं विविध मद में प्राप्त आवंटन से संबंधित सभी प्रकार के लेखा कार्य का संधारण लेखा पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता की संयुक्त जबावदेही होगी।

(घ) सभी प्रकार के भुगतान हेतु चेक कार्यपालक अभियंता एवं लेखा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।

निदेशक पार्षद की दिनांक 27.09.18 की 154वीं बैठक के मद संख्या 153.28 द्वारा अनुमोदित।

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः—11:01:12:01:2018 10932 दिनांकः— 23/10/18

प्रतिलिपिः— सभी मुख्य महाप्रबंधक/मुख्य सतर्कता पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/कार्यपालक अभियंता, उत्तर बिहार/कार्यपालक अभियंता दक्षिण बिहार/प्रबंध निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय, पटना एवं सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः—11:01:12:01:2018 10932 दिनांकः— 23/10/18

प्रतिलिपिः— अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः—11:01:12:01:2018 10932 दिनांकः— 23/10/18

प्रतिलिपिः— सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक